भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2883
08 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

महानगरों में बढ़ते शहरीकरण के प्रभाव

†2883. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बढ़ते शहरीकरण के कारण चेन्नई**,** दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि उक्त विकास परियोजनाओं से इन शहरों पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में संवहनीय परिवर्तन संबंधी उपबंध शामिल हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से **(ग)**: संविधान के अनुच्छेद 243ब के प्रावधानों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों अर्थात अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू 2.0), प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और शहरी परिवहन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। चेन्नई, दिल्ली और मुंबई सहित मेट्रो शहरों पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और स्थायी बदलाव को भी बढ़ावा देने के लिए, मिशन और कार्यक्रम जल निकायों के पुनरुद्धार, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग, पैदल चलने वाले पथ की सुविधा और गैर-मोटर चालित

परिवहन को बढ़ावा देने, वर्षा जल संचयन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई और स्वच्छता तथा इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों को शामिल करने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देते हैं।

अमृतः

सुनियोजित शहरीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, अमृत के अंतर्गत 500 अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की उप-योजना कार्यान्वित की जा रही है, ताकि अमृत शहरों में मास्टर प्लान तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता दी जा सके। इस उप-योजना का उद्देश्य जियो डेटाबेस तैयार करना और जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाना है। इसके अलावा अमृत 2.0 के तहत, अपेक्षाकृत छोटे शहरों में योजना पहल शुरू करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी रूप से सहायता देने के लिए 50,000-99,999 की आबादी वाले द्वितीय श्रेणी के नगरों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की योजना शुरू की गई है।

शहरी नियोजन सुधारों को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को शहरी नियोजन को एक साधन के रूप में उपयोग करके भूमि-उपयोग, स्थायी विकास, वहनीयता और राजस्व सृजन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

स्मार्ट सिटी मिशनः

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य बढ़ती शहरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे और मध्यम शहरों को तैयार करना है, ताकि बड़ी आबादी वाले शहरों के आबादी बोझ को कम किया जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम-यू 2.0):

सभी शहरों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के 100 प्रतिशत सुरक्षित वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक शामिल है। इसमें निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) मलबे का प्रसंस्करण भी शामिल है।

*****